

सं० सं०-17/डी-1-03/2013 - 1235(17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
19/11/13


आदेश

पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में संविदा के आधार पर कार्यरत प्राध्यापक को 32500/- (बतीस हजार पाँच सौ), रीडर को 27000/- (सताईस हजार) एवं ट्यूटर को 22500/- (बाईस हजार पाँच सौ) रू० मानदेय प्रतिमाह निर्धारित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-03/एम०-78/2005-2401/कार्मिक दिनांक 18.07.2007 की कंडिका-04 के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय निर्धारण हेतु प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 01.11.2013 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक का रू०-36000/- (छत्तीस हजार), रीडर का रू०-33000/- (तेतीस हजार), व्याख्याता का रू०-31000/- (एक्तीस हजार) एवं ट्यूटर का रू०-28000/- (अठाईस हजार) रुपये प्रतिमाह करने तथा कुल मानदेय पर 10% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बद्धिधत मानदेय, आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/डी-1-03/2013 - 1235(17) पटना, दिनांक :- 19/11/13

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17/ आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।